

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

प्रगति प्रतिवेदन
वर्ष 2024-25

25-04

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

प्रगति प्रतिवेदन वर्ष 2024-25

विधि विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में एक महत्वपूर्ण विभाग है। विधि विभाग द्वारा राज्य के प्रयोजनार्थ विभिन्न विधिक मामलों में राय देने, विधायी प्रारूपण, विधि संहिताकरण, प्रचलित विधि के प्रकाशन की व्यवस्था संचालित की जाती है। लोक अदालत एवं विधिक सहायता संबंधित मामलों के सन्दर्भ में भी प्रशासनिक व्यवस्था की जाती है। विधि विभाग, राज्य सरकार के समस्त विधिक कार्यों की देखभाल का दायित्व निर्वहन करता है।

विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव हैं तथा विधि विभाग के प्रमुख शासन सचिव के अधीन शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी (वादकरण), विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण), विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ट शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विशिष्ट शासन सचिव, (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त शासन सचिव, विधि, एवं उप शासन सचिव कार्यरत हैं।

विधि विभाग, माननीय विधि मंत्री महोदय के निर्देशन में कार्य करता है। विधि एवं विधि कार्य विभाग राज्य के विधिक कार्यकलापों के लिए उत्तरदायी है। राजस्थान विधिक (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 746 पद एवं राजस्थान विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा के संवर्ग में कुल 35 पद हैं।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा

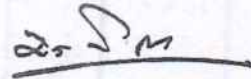
विधि विभाग के विभागाध्यक्ष प्रमुख शासन सचिव हैं तथा इनके नियंत्रणाधीन विधि विभाग के निम्नलिखित अनुभाग कार्यालय हैं जिनके अध्यक्ष निम्नानुसार हैं:-

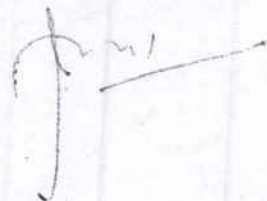
1. विधि, (राजकीय वादकरण)

- i. शासन सचिव, विधि एवं संयुक्त विधि परामर्शी
- ii. विशिष्ट शासन सचिव, एवं संयुक्त विधि परामर्शी, विधि (वादकरण)

2. विधि रचना संगठन

- i. विशिष्ट शासन सचिव (विधि रचना संगठन) एवं संयुक्त विधि परामर्शी,
- ii. उप सचिव एवं उप निर्देशक





3. विधि (ग्रुप-2) विभाग / विधायी प्रारूपण / संहिताकरण विभाग

- i. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
- ii उप सचिव (ग्रुप-2)
- iii उप सचिव (वि.प्रा.-I)
- iv उप सचिव (वि.प्रा.-II)
- v उप सचिव (संहिताकरण विभाग)

4. विधि (प्रारूपण) विभाग

- i. विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) एवं संयुक्त विधि परामर्शी
- ii. संयुक्त विधि परामर्शी

5. विशिष्ट शासन सचिव एवं संयुक्त विधि परामर्शी

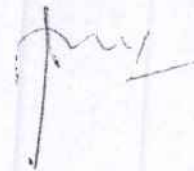
6. विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग-1)

- i संयुक्त शासन सचिव
- ii उप शासन सचिव

विधि विभाग के अधीन अनुभागों द्वारा सम्पादित कार्य एवं उपलब्धियों का विवरण:-

निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली / राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ के समक्ष राज्य की ओर से आपराधिक एवं सिविल मामलों में पैरवी हेतु महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता, एडवोकेट ऑन रिकार्ड / पैनल लॉयर / वरिष्ठ अधिवक्ता / राजकीय अधिवक्ता / अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता / उप राजकीय अधिवक्ता / सहायक राजकीय अधिवक्ता / गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल / एडीशनल गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल / डिप्टी गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल / असिस्टेंट गवर्नमेन्ट कॉउन्सिल की नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. जिला स्तर पर जिला एवं सेशन न्यायालयों, विशिष्ट न्यायालयों, अपर जिला एवं सेशन न्यायालयों में आपराधिक सेशन प्रकरणों की पैरवी हेतु लोक अभियोजक / विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
3. निदेशालय राजकीय वादकरण, राजकीय अधिवक्ता जयपुर / जोधपुर एवं समस्त लोक अभियोजक / विशिष्ट लोक अभियोजक एवं अपर लोक अभियोजकगण के कार्यालयों में

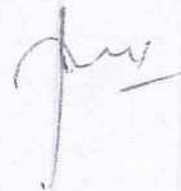


मंत्रालयिक कर्मचारियों की नियुक्ति/ पदस्थापने/ स्थानान्तरण/ अनुशासनात्मक कार्यवाही/ वरिष्ठता/ पदोन्नति/ चयनित वेतनमान संबंधित कार्य।

4. जिला न्यायाधीश एवं अन्य समस्त अधीनस्थ न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से सिविल मामलों की पैरवी हेतु पैनल अधिवक्ताओं की नियुक्ति, सेवा वृद्धि, सेवा मुक्ति, कार्यकुशलता, शिकायतों आदि से संबंधित कार्य।
5. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त जिलों के लोक अभियोजक/ विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं उनके कार्यालयों के मंत्रालयिक कर्मचारियों के चिकित्सा/ यात्रा/ वेतन/ फीस/ कार्यालय व्यय हेतु बजट आवंटन संबंधित कार्य।
6. विधि विभाग द्वारा नियुक्त/नियंत्रित अधिवक्ता संवर्ग के लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं उनके कार्यालयों में पदस्थापित मंत्रालयिक कर्मचारियों द्वारा दायर न्यायिक प्रकरणों में राज्य पक्ष की ओर से बचाव संबंधित कार्य।
7. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता/राजकीय अधिवक्ता जयपुर/ जोधपुर एवं समस्त जिलों के लोक अभियोजक/विशिष्ट लोक अभियोजक/अपर लोक अभियोजक एवं उनके कार्यालयों में कार्यरत मंत्रालयिक कर्मचारियों के वेतन/चिकित्सा/ यात्रा/फीस/कार्यालय व्यय हेतु बी.एफ.सी./ अंक मिलान संबंधी कार्य।
8. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में राज्य की ओर से नियुक्त अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड का वेतन एवं पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता को फीस का भुगतान एवं उच्च न्यायालय, जोधपुर एवं जयपुर पीठ में नियुक्त महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता को देय विशेष फीस बिलों का भुगतान संबंधी कार्य।
9. सचिवालय स्थित वादकरण निदेशालय में पदस्थापित विधि अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन/यात्रा/चिकित्सा व्यय बिलों का भुगतान एवं वेतन नियतन संबंधी कार्य।
10. सूचना के अधिकार के तहत विधि वादकरण से संबंधित मांगी गई जानकारीयों से संबंधित कार्य।
11. विधि वादकरण से संबंधित विधानसभा प्रश्नों के उत्तर का कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ-4) विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर द्वारा निर्णित आपराधिक प्रकरणों के विरुद्ध अपील/नो अपील का विनिश्चय
2. माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर आपराधिक प्रकरणों में पैनल लॉयर/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड की नियुक्ति



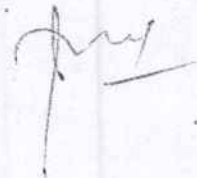
3. माननीय उच्चतम न्यायालय में नियुक्त पैनल लॉयर/ वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रेषित फीस बिलों का भुगतान
4. आपराधिक प्रकरणों से संबंधित विविध कार्य

विधि (प्रकोष्ठ-4) वादकरण, विभाग के द्वारा सम्पादित कार्य

राजस्थान के सभी जिलों में स्थित सेशन/अपर सेशन न्यायालयों/ विशिष्ट न्यायालयों—एन.डी.पी.एस./एस.सी.एस.टी./ए.सी.डी./महिला उत्पीडन /जाली नोट/प्रिन्टिंग स्टेशनरी/ डकैती प्रभावी क्षेत्र/साम्प्रदायिक दंगे/डेजिग्नेटेड कोर्ट द्वारा दिये गये सभी निर्णयों एवं मजिस्ट्रेट न्यायालयों द्वारा जमानती/संज्ञेय आपराधिक प्रकरणों में दिये गये निर्णयों के विरुद्ध अपील दायर करने/नहीं करने के क्रम में निर्णयों का परीक्षण संबंधी कार्य।

विधि (प्रकोष्ठ-5) रिट शाखा के द्वारा सम्पादित कार्य

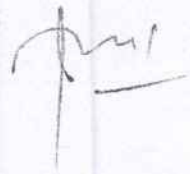
1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की सामान्य फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के पारित निर्णयों के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य की ओर से एस.एल.पी. पेश करने हेतु अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अवमानना मामलों में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति संबंधी कार्य।
4. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में रिव्यु याचिकायें/ क्यूरेटिव याचिकायें आदि पेश करने संबंधी कार्य।
5. राज्य के बाहर उच्च न्यायालयों में राजस्थान राज्य के मामलों में अपील/नो अपील करने संबंधी कार्य।
6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता की विशेष फीस पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
7. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में निजी अधिवक्ता/वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।



8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ता की उनकी सेवा शर्तों पर नियुक्ति संबंधी कार्य।
9. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता के विशेष फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य।
10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के मामलों में नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता/निजी अधिवक्ता के फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य।
11. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर के द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय को प्रेषित नोटिसों को आवश्यक प्रतिरक्षण हेतु प्रशासनिक विभागों को भिजवाने संबंधी कार्य।
12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के विरुद्ध एस.एल.पी./रिट पिटिशन एवं अवमानना मामलों में अतिरिक्त महाधिवक्ता/ एडवोकेट ऑन रिकार्ड/ पैनल लॉयर की नियुक्ति संबंधी कार्य।
13. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर/जयपुर में अन्य राज्य के मामलों में अधिवक्ता (महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता आदि) नियुक्ति फीस आदि एवं अन्य राज्य में राजस्थान राज्य के मामलों में अधिवक्ताओं की नियुक्ति/फीस आदि संबंधी कार्य।
14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय में राज्य के पैनल पर नियुक्त अधिवक्तागण (अतिरिक्त महाधिवक्ता/एडवोकेट ऑन रिकार्ड/पैनल लॉयर/वरिष्ठ अधिवक्ता) के फीस बिलों के निस्तारण संबंधी कार्य तथा अन्य विविध कार्य।

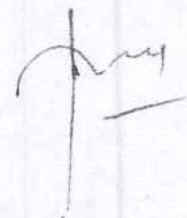
निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग की उपलब्धियां:-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी हेतु क्रमशः 10-10 अतिरिक्त महाधिवक्तागण की नियुक्ति की गयी है।
2. विभागीय आदेश दिनांक 12.06.2024 के द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर पीठ बेंच के समक्ष राज्य सरकार के प्रकरणों में पैरवी हेतु नियुक्त



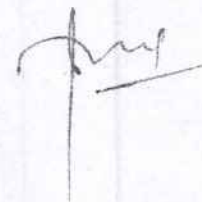
विधि अधिकारियों (यथा महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्तागण /राजकीय अधिवक्तागण व गवर्नमेंट काउन्सिल्स) के पदों का पुनर्गठन किया गया है, जिसमें जयपुर बेंच में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 07 पद व जोधपुर में अतिरिक्त महाधिवक्ता के 03 पद बढ़ाये गये हैं। उक्त नवीन महाधिवक्ता के कार्यालय हेतु निजी सहायक ग्रेड-II के 10, कनिष्ठ सहायक के 20 एवं च0श्रे0कर्मचारी के 10 नवीन पद सृजित किए गए हैं।

3. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष राज्य सरकार के आपराधिक प्रकरणों की पैरवी हेतु 02 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, 09 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, 09 उप राजकीय अधिवक्ता व 03 सहायक राजकीय अधिवक्ता तथा राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर के समक्ष राज्य सरकार के आपराधिक प्रकरणों के पैरवी हेतु 01 राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, 10 अतिरिक्त राजकीय अधिवक्ता, 11 उप राजकीय अधिवक्ता एवं 01 सहायक राजकीय अधिवक्ता की नियुक्ति की गयी है।
4. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के समक्ष राज्य सरकार के सिविल प्रकरणों की पैरवी करने हेतु 02 गवर्नमेंट काउन्सिल, 13 एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल, 13 डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल व 18 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल तथा जोधपुर में 02 गवर्नमेंट काउन्सिल, 12 एडिशनल गवर्नमेंट काउन्सिल, 13 डिप्टी गवर्नमेंट काउन्सिल व 11 असिस्टेंट गवर्नमेंट काउन्सिल की नियुक्ति की गयी है।
5. माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष राजस्थान राज्य के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु 03 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 03 एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड व 05 पैनल लॉयर्स की नियुक्ति की गयी है।
6. अधीनस्थ सेशन न्यायालयों में राज्य सरकार के आपराधिक/दीवानी प्रकरणों की पैरवी हेतु 21 लोक अभियोजक, 53 विशिष्ट लोक अभियोजक एवं 110 अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति की गयी है।
7. अधीनस्थ सेशन न्यायालयों में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु 04 अपर लोक अभियोजक के नवीन पद सृजित किये गये हैं।



8. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में राज्य सरकार की ओर से पैरवी हेतु नियुक्त राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय में क्रमशः 04-04 कनिष्ठ सहायक के नवीन पद नियमित वेतन श्रृंखला में सृजित किये गये हैं।
9. विभाग के अधीन अपर लोक अभियोजक कार्यालयों में 04 कनिष्ठ सहायक एवं 04 च0श्रे0कर्मचारी के नवीन पद नियमित वेतन श्रृंखला में सृजित किये गये हैं।
10. विभागीय आदेश दिनांक 20.06.24 के द्वारा कनिष्ठ सहायक के पद पर 01 अनुकम्पा नियुक्ति प्रदान की गयी है।
11. माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा पारवर्तित बजट वर्ष, 2024-25 के बिन्दु संख्या 69 में कि गई घोषणा की क्रियान्विति में वकीलों को एकबारिय सहायता प्रदान करने हेतु स्वीकृत राशि 7.50 करोड़ रुपये का बार काउन्सिल ऑफ राजस्थान को इस विभाग से बजट मद -2014-00-114-04-01-12 सहायतार्थ अनुदान (स्कीम एवं राज्य निधि) से भुगतान करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।
12. विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत अधिकारीगण/कर्मचारीगण की विभिन्न पदों पर विभागीय आदेशों दिनांक 05.09. 2024 द्वारा पदोन्नतियां प्रदान की गयी:-

क्र0सं0	पदनाम	पदोन्नत पदों की संख्या
1	निजी सहायक ग्रेड-1	8
2	संस्थापन अधिकारी	02
3	प्रशासनिक अधिकारी	06
4	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	11
5	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	06
6	वरिष्ठ सहायक	13



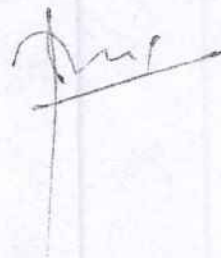
विधि (विधायी प्रारूपण) (ग्रुप-2) विभाग द्वारा सम्पादित कार्य/उपलब्धियों का विवरण:-

विधि विभाग की इस शाखा में विभिन्न प्रशासनिक विभागों से मंत्रिमण्डल आज्ञा सहित प्राप्त विधेयक सत्र के दौरान विधान सभा में पुरःस्थापित किए जाने हेतु विधान सभा सचिवालय को प्रेषित किये जाते हैं। विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को यथा स्थिति माननीय राष्ट्रपति महोदय एवं माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति के लिए प्रेषित किया जाता है एवं अनुमति प्राप्त होने पर अधिनियम के रूप में केन्द्रीय राज्य मुद्रणालय, जयपुर के माध्यम से राजपत्र में प्रकाशित करवाया जाता है।

विधान सभा का सत्र चालू नहीं होने के दौरान प्रख्यापन के लिए प्राप्त अध्यादेश माननीय राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत किये जाते हैं तथा प्रख्यापन के पश्चात् उनको राजपत्र में प्रकाशन करवाया जाता है।

विधि(ग्रुप-2)विभाग के कार्य का सार-संक्षेप (Executive summary)

- विधि (ग्रुप-2) विभाग में विधान सभा संबंधी अत्यावश्यक शासकीय, विधायी कार्य यथा विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्यादेशों को तैयार करने एवं उनके प्रख्यापन उपरान्त अध्यादेशों की अधिसूचनाओं के राजपत्र में प्रकाशन कराने तथा विधान सभा सत्र के दौरान प्रतिस्थापक एवं नवीन विधेयकों को तैयार करने, उनका मिलान करने, प्रूफ पढ़ने, संशोधन करने तथा अंतिम रूप से तैयार विधेयकों को विधान सभा में पुरःस्थापन हेतु भिजवाने और विधान सभा द्वारा पारित विधेयकों को अन्तिम रूप देते हुए अधिनियम के रूप में राजपत्र में प्रकाशित कराने संबंधी विधायी कार्यों का सम्पादन किया जाता है। उक्त कार्यों का समयबद्ध एवं त्वरित रूप से निस्तारण किया जाना अनिवार्य होता है।
- वर्ष 2024 में विधान सभा सचिवालय को पुरःस्थापित कराये जाने हेतु प्रेषित 08 विधेयकों में से 01 विधेयक प्रवर समिति को प्रेषित किया गया एवं 01 विधेयक विधानसभा में लम्बित है तथा 06 विधेयकों को विधायिका द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। साथ ही 2022 में पारित 01 विधेयक को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। वर्ष 2024 में 03 अध्यादेश प्रख्यापित करवाये गये हैं।
- वर्ष 2008 में पारित 01 विधेयक, 2019 में पारित 01 विधेयक एवं 2020 में पारित 02 विधेयकों को राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है। साथ ही वर्ष 2020 में पारित 01 एवं 2022 में पारित 01 विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश के साथ राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने की प्रक्रिया में हैं।



वर्ष 2024 में विधान सभा सचिवालय को पुरःस्थापित कराये जाने हेतु प्रेषित 08 विधेयकों में से 01 विधेयक प्रवर समिति को प्रेषित किया गया एवं 01 विधेयक विधानसभा में लम्बित है तथा 06 विधेयकों को विधायिका द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया। साथ ही 2022 में पारित राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2022 की अनुमति माननीय राष्ट्रपति महोदय की 05 जुलाई, 2024 को प्राप्त होने पर दिनांक 19.07.2024 को अधिनियम के रूप में प्रकाशित करवाया गया।

LIST OF ACTS, 2024

S. No.	Act No.	Title of Act
1.	1/2024	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अधिनियम, 2024
2.	2/2024	राजस्थान विनियोग (सं. 1) अधिनियम, 2024
3.	3/2024	राजस्थान विनियोग (लेखानुदान) (सं. 2) अधिनियम, 2024
4.	4/2024	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) अधिनियम, 2022
5.	5/2024	राजस्थान विनियोग (सं. 2) अधिनियम, 2024
6.	6/2024	गांधी वाटिका न्यास, जयपुर (निरसन) अधिनियम, 2024
7.	7/2024	राजस्थान वित्त अधिनियम, 2024

वर्ष 2024 में निम्नांकित 03 अध्यादेश प्रख्यापित करवाये गये हैं:-

LIST OF ORDINANCES, 2024

S. No.	Act No.	Title of Act
1.	1/2024	राजस्थान माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2024
2.	2/2024	भरतपुर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024
3.	3/2024	बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024

विधान सभा के द्वारा निम्नांकित विधेयक को प्रवर समिति को प्रेषित किया गया है:-

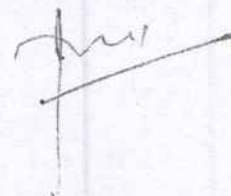
List of Bill reserved for Select Committee

S. No.	Bill No.	Title of Bill
1.	7/2024	राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण विधेयक, 2024

माननीय राज्यपाल महोदय के द्वारा वर्ष 2008 में पारित 01 विधेयक, 2019 में पारित 01 विधेयक एवं 2020 में पारित 02 विधेयकों को संदेश के साथ राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाया गया है।

List of Returned Bills by Hon'ble Governor sent to Assembly With message

S.No.	Bill No.	Title of Bills
1.	18/2008	राजस्थान धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, 2008



S.No.	Bill No.	Title of Bills
2.	22/2019	राजस्थान लिंगिंग से संरक्षण विधेयक, 2019
3.	30/2020	कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सरलीकरण) (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
4.	31/2020	कृषक (सशक्तिकरण और संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार (राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020

साथ ही वर्ष 2020 में पारित 01 एवं 2022 में पारित 01 विधेयक माननीय राज्यपाल महोदय के संदेश के साथ राजस्थान विधान सभा को पुनर्विचार हेतु लौटाये जाने की प्रक्रिया में हैं। विधेयकों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:-

List of Returned Bills by Hon'ble Governor to be sent to Assembly With message

S. No.	Bill No.	Title of Bills
1.	32/2020	आवश्यक वस्तु (विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन) विधेयक, 2020
2.	15/2022	ड्यून्स विश्वविद्यालय, जोधपुर विधेयक, 2022

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

विधिक सेवा कार्यक्रमों एवं योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2024-25 की क्रियान्विति से संबंधित उपलब्धि:

प्रदेश में सभी नागरिकों को समान अवसर के आधार पर न्याय सुलभ हो और कोई भी नागरिक आर्थिक या किसी अन्य निर्योग्यता के कारण न्याय प्राप्त करने से वंचित न रहे, के लिये प्रदेश में राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(यथासंशोधित) एवं राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999 के प्रावधानों के तहत राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व इसके अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगर क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिये निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987(यथासंशोधित) राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995(यथासंशोधित) एवं राजस्थान राज्य



विधिक सेवा प्राधिकरण विनियम, 1999(यथासंशोधित) के प्रावधानों के तहत प्रदेश में विधिक सेवा कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के संबंध में गठित एवं संस्थापित ढांचा निम्नानुसार है:-

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण - राज्य स्तर पर
2. राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति - 02(जयपुर एवं जोधपुर)-
उच्च न्यायालय स्तर पर
3. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण - 36 - जिला न्यायालय मुख्यालय
स्तर पर
4. तालुका विधिक सेवा समिति - 181 - अधीनस्थ न्यायालय मुख्यालय
तालुका स्तर पर
5. स्थायी लोक अदालत - 36 - (24 पूर्णकालिक(सेवानिवृत्त
जिला एवं सेशन न्यायाधीश की अध्यक्षता में संस्थापित) एवं 12 जिला एवं सेशन
न्यायाधीश संबंधित न्यायक्षेत्र की अध्यक्षता में संस्थापित एवं कार्यरत) जिला
न्यायक्षेत्र मुख्यालय स्तर पर

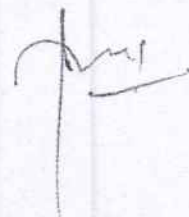
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नियम एवं विनियम में प्राविधित प्रावधानों के तहत एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय से तालुका स्तर पर निःशुल्क विधिक सहायता, विधिक साक्षरता, लोक अदालत, मीडियेशन, पैरालीगल क्लीनिक एवं केन्द्रीय व राज्य सरकार, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा समाज के विभिन्न कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए निर्देशित विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

विधिक सलाह एवं सहायता

विधिक सेवा कार्यक्रमों के अन्तर्गत निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता के क्रम में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जरूरतमन्द व्यक्तियों को विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय, जिला एवं तालुका स्तर पर शिक्षित पैनल अधिवक्तागण एवं रिटेनर अधिवक्तागण का चयन किया गया। जिनके माध्यम से प्रदेश में उपलब्ध करायी गयी निःशुल्क विधिक सलाह एवं सहायता प्रदान की जाती है।

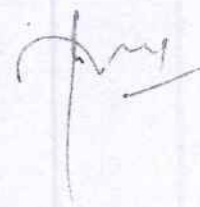
वर्ष 2024-25 के दौरान राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में प्रदेश में आयोजित विधिक सेवा कार्यक्रम एवं उपलब्धियों का विवरण :-

1. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा "विधिक सेवा दिवस 2024" के अवसर पर दिव्यांग बालकों में विधिक जागरूकता उत्पन्न करने एवं समाज में



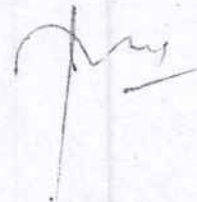
उनके प्रति जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिनांक 12-09-2024 से 24-09-2024 तक जिला मुख्यालय स्तर पर खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं के माध्यम से "विधिक जागरूकता अभियान 2024" का आयोजन किया गया, जिसमें कबड्डी, बोची बॉल, लम्बी कूद, गोला फेंक, बैडमिंटन, कैरम, शतरंज, टेबल-टेनिस एवं चित्रकला जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। उपरोक्त खेलकूद प्रतियोगिताओं के क्रम में दिनांक 30-09-2024 से 10-10-2024 तक संभाग स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। संभाग स्तर पर विजेता रहे प्रतिभागियों के लिए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर में आयोजित की गई। दिनांक 11-11-2024 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर (आर.आई.सी.), जयपुर में पुरस्कार वितरण समारोह एवं समीपन समारोह आयोजित किया गया। उपरोक्त प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए राज्य भर से 84 अभिभावकों/शिक्षकों सहित कुल 119 प्रतिभागी 10-11-2024 से 12-11-2024 तक जयपुर आए।

2. उपरोक्त प्रतियोगिताओं के विजेताओं को समूह प्रतियोगिताओं में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को स्वर्ण पदक, स्मार्ट घड़ी, प्रमाण पत्र, जूट बैग एवं 11,000 रुपये (प्रत्येक प्रतिभागी को) का नकद पुरस्कार तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को रजत पदक, प्रमाण पत्र, ट्रेक सूट अपर, जूट बैग एवं 7,000 रुपये (प्रत्येक प्रतिभागी को) का नकद पुरस्कार तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को कांस्य पदक, प्रमाण पत्र, स्कूल किट, जूट बैग एवं 5,000 रुपये (प्रत्येक प्रतिभागी को) का नकद पुरस्कार प्रदान किया गया।
इसके साथ ही एकल प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को स्वर्ण पदक, प्रमाण पत्र, ट्रेक सूट, जूट बैग तथा 5,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, तथा द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को रजत पदक, प्रमाण पत्र, घड़ी, जूट बैग तथा 4,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया, तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागी को कांस्य पदक, प्रमाण पत्र, स्कूल किट, जूट बैग तथा 3,000 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया।
3. 'अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस' के अवसर पर दिनांक 08.03.2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग के मार्गदर्शन में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह आयोजित किया इस दौरान राजस्थान प्रदेश में कुल 474 विधिक जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
4. 'अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस' पर राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 'Yoga for Humanity' थीम पर अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस (दिनांक 21.06.2024) मनाया गया।



5. जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 के दौरान आयोजित नियमित विधिक सेवा कार्यक्रम, गतिविधियां एवं उपलब्धियां:-

- जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 के दौरान 13134 व्यक्तियों को विधिक सहायता प्रदान की गई है।
- जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 के दौरान राजस्थान पीडित प्रतिकर स्कीम के अन्तर्गत 2309 पीडितों को रुपये 45,34,43,000/- प्रतिकर पारित कर दिया गया है।
- जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 के दौरान 71035 विधिक साक्षरता शिविर आयोजित हुये है, जिनमें 5241860 व्यक्ति लाभान्वित हुये है।
- जनवरी 2024 से दिसम्बर 2024 के दौरान अधिनियम की धारा 19 के तहत आयोजित लोक अदालतमें 978 प्रकरण निस्तारित हुए एवं प्रकरणों में राशि रुपये 8,26,0851/- रुपये का अवॉर्ड पारित हुआ है।
- जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 के दौरान राष्ट्रीय लोक अदालत में 1,23,03,117 प्रकरण निस्तारित हुए एवं राशि रुपये 51,05,14,51,895/- का अवॉर्ड पारित हुआ।
- जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 के दौरान अधिनियम की धारा 22 बी के तहत जिला स्तर पर संस्थापित स्थाई लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाओं से संबंधित 4700 प्रकरण निस्तारित हुए जिनमें राशि रुपये 588925118/- की सेटलमेन्ट राशि पारित हुई।
- जनवरी, 2024 से दिसम्बर, 2024 के दौरान के दौरान वैकल्पिक विवाद निस्तारण के अन्तर्गत मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से 530 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
- प्रदेश में राजकीय एवं निजी माध्यमिक विद्यालयों में 5333 विधिक साक्षरता क्लब संस्थापित है।
- प्रदेश में जे.जे.बी./सी.डब्ल्यू.सी./पोक्सो में पीडितों व बच्चों की सहायता के लिए अद्यतन दिनांक 31.07.2023 तक विशेष तौर पर 62 पैनल अधिवक्तागण को प्रशिक्षित किया गया और बच्चा चाहे पीडित हो या विधि



से संघर्षरत बालको की पैरवी के लिए निःशुल्क अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाती है।

- प्रदेश में पीडित बच्चों/किशोर की सहायता के लिए 115 पी.एल.वी. बाल सहायक के लिए विशेष तौर से प्रशिक्षित किये गये हैं, जो सपोर्ट पर्सन की भूमिका निभा रहे हैं।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग-1) की सम्पादित कार्य एवं उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

सम्पादित कार्य

1. विधि एवं विधिक कार्य (अनुभाग-1) के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के परामर्श से विभिन्न स्तर के नवीन न्यायालयों की स्थापना, विशेष न्यायालयों की स्थापना, कैम्प कोर्टों की स्थापना, न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन प्रदान करने का कार्य।
2. राजस्थान न्यायिक सेवा के पदों पर नियुक्ति/पदोन्नति संबंधी कार्य।
3. विधि (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) विधि रचना (राज्य एवं अधीनस्थ सेवा) के पदों पर नियुक्ति, पदोन्नति एवं पदस्थापन संबंधी कार्य।
4. मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों का संस्थापन संबंधी कार्य।
5. माननीय उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालयों तथा मोटर दुर्घटना दावा अधिकरणों हेतु बजट आवंटन संबंधी कार्य।
6. माननीय न्यायाधिपतिगण के राजकीय बंगलों में परिवर्तन, परिवर्धन संबंधी कार्य।
7. राजस्थान उच्च न्यायालय एवं राजस्थान न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन संबंधी कार्य।
8. नोटरी पब्लिक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राधिकार प्रमाण-पत्र जारी करने तथा नवीनीकरण संबंधी कार्य।
9. विधि विभाग से संबंधी विधान सभा प्रश्नों ध्यानाकर्षण/विशेष उल्लेख प्रस्तावों संबंधी कार्य।

उपलब्धियां

1. 05 अपर जिला एवं सेशन न्यायालय खोले गये।
2. 02 वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय खोले गये।
3. 01 विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) न्यायालय खोले गये।



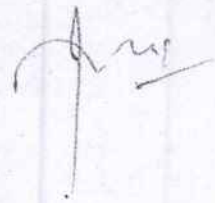
4. 04 विशिष्ट न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) की स्थापना की गई।
5. 01 पोक्सो न्यायालय की स्थापना की गई।
6. 138 कनिष्ठ विधि अधिकारी को नियुक्ति प्रदान की गई।
7. नोटेरी पब्लिक के 28 नोटेरी प्राधिकार प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण गया।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग (अनुभाग-1) वर्ष 2024-25 में निम्नानुसार बजट स्वीकृत किया गया:-

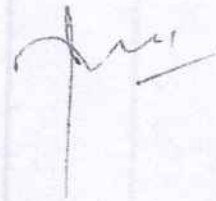
1. माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) संख्या 643/2015 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2024 SNJPC की सिफारिशों के अनुसार न्यायिक अधिकारियों को ऐरियर भुगतान करने हेतु राशि रुपये 41382.21 लाख का अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दिनांक 16.04.2024 को जारी की गई।
2. राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अतिथि गृह के उपयोग हेतु 10 नग Peacock chair full back with arm with febric कय करने के लिए राशि रुपये 0.39 लाख की स्वीकृति दिनांक 30.04.2024।
3. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के नये भवन में न्यायालय के सामने खुले बरामदे का Toughened Glass से कवर करने एवं वातानुकूलित संयंत्र स्थापित करने हेतु राशि रुपये 703.77 लाख की स्वीकृति दिनांक 02.05.2024 को जारी की गई।
4. ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज-II की अशेष राशि भारत सरकार में जमा कराने हेतु राशि रुपये 2.03 लाख के अतिरिक्त बजट प्रावधान की स्वीकृति दिनांक 02.05.2024 को जारी की गई।
5. जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीशों के उपयोग हेतु Tata Safari BS6 एवं चित्तोड़गढ़, पाली व सवाईमाधोपुर के 03 वाहन की साज सज्जा के लिए राशि रुपये 13.38 लाख का अतिरिक्त बजट प्रावधान की स्वीकृति दिनांक 28.05.2024 को जारी की गई।
6. राजस्थान उच्च न्यायालय जाधपुर के नवीन भवन में विद्युतिय कार्य हेतु राशि रुपये 77.18 लाख RSRDC के खाते में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति दिनांक 23.05.2024 को जारी की गई।



7. एस.एन.जे.पी.सी (SNJPC) की सिफारिशों के कम में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण MACT'S के न्यायिक अधिकारियों को ऐरियर भुगतान हेतु राशि रुपये 1270.46 लाख की स्वीकृति दिनांक 29.05.2024 को जारी की गई।
8. निदेशक राजस्थान न्यायिक अकादमी जोधपुर को प्रशिक्षण पर व्यय करने हेतु राशि रुपये 25.00 लाख का अतिरिक्त बजट की स्वीकृति दिनांक 29.05.2024 को जारी की गई।
9. पारिवारिक न्यायालय धौलपुर में पदस्थापित न्यायिक अधिकारी रेखा शर्मा को कैंसर रोग के उपचार हेतु राशि रुपये 3.85 लाख की स्वीकृति दिनांक 29.05.2024 को जारी की गई।
10. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ, जयपुर परिसर के भूतल पर कॉन्फ्रेस हॉल के नवीनीकरण कार्य हेतु राशि रुपये 208.17 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.06.2024 को जारी की गई।
11. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के परिसर में दो कैप्सूल लिफ्टों की स्थापना हेतु राशि रुपये 167.86 लाख की स्वीकृति दिनांक 04.06.2024 को जारी की गई।
12. राजस्थान राज्य न्यायालय पीठ जयपुर के परिसर में दो नवीन मद SITC of CCTV and SITC of DG set कय करने हेतु राशि रुपये 95.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 07.06.2024 को जारी की गई।
13. विशिष्ट न्यायालय जयपुर बम ब्लॉस्ट कैसेज जयपुर को आवंटित वाहन संख्या RJ 14 CM 0186 के मरम्मत करवाने हेतु राशि रुपये 1.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 18.06.2024 को जारी की गई।
14. प्रतापगढ़ मुख्यालय पर G+4 नवीन न्यायालय भवन परिसर में पक्षकारों के बैठने की अवस्था हेतु राशि रुपये 46.69 लाख की स्वीकृति दिनांक 19.06.2024 को जारी की गई।
15. राजस्थान उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधिपतिगणों को उपलब्ध पुराने वाहन Innova crysta के स्थान पर (replacement basis) 11 नवीन Innova Hycorss कय करने हेतु राशि रुपये 352.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 02.07.2024 को जारी की गई।
16. राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर के लिए 100 लोहे की तीन शीटर कुर्सियां कय करने हेतु राशि रुपये 36.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 19.07.2024 को जारी की गई।



17. राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना के पूर्ण हो रहे 75 वर्ष के उपलक्ष्य में विभिन्न समारोह कार्यक्रम हेतु राशि रुपये 775.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 20.07.2024 को जारी की गई।
18. राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यालय उपयोग हेतु कम्प्यूटर, प्रिन्टर एवं स्केनर आदि क्रय करने हेतु राशि रुपये 482.14 लाख की स्वीकृति दिनांक 24.07.2024 को जारी की गई।
19. विशेष न्यायालयों में स्वीकृत 36 वाहनों के संचालन हेतु वाहन चालक की संविदा सेवाओं के भुगतान के लिए राशि रुपये 78.30 लाख की स्वीकृति दिनांक 27.07.2024 को जारी की गई।
20. जिला एवं सेशन न्यायाधीश स्तर के विशेष न्यायाधीशों को 25 नवीन वाहन क्रय करने हेतु 200.00 लाख उपलब्ध बजट से शेष राशि 78 लाख संशोधित बजट से कराये जाने हेतु स्वीकृति दिनांक 24.07.2024 एवं 21.11.2024 को जारी की गई।
21. बंगला संख्या सी 6 रेजीडेन्सी रोड़ जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय में अतिथि गृह निर्माण हेतु राशि रुपये 1860.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.08.2024 को जारी की गई।
22. राजस्थान उच्च न्यायालय, बैंच जयपुर में अतिथि गृह ए.17 गांधीनगर जयपुर निर्माण हेतु राशि रुपये 640.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 22.08.2024 को जारी की गई।
23. बाप मुख्यालय के न्यायालय भवन में Ladies Toilet व विशेष योग्यजनों हेतु रेम्प निर्माण हेतु राशि रुपये 4.08 लाख की स्वीकृति दिनांक 28.10.2024 को जारी की गई।
24. राजस्थान न्यायिक अकादमी जोधपुर के होस्टल रूम, स्पोर्ट कॉम्प्लैक्स एवं हॉल कॉन्फ्रेंस की साज सज्जा हेतु राशि रुपये 56.61 लाख की स्वीकृति दिनांक 08.11.2024 को जारी की गई।
25. ग्राम न्यायालय राजगढ़ (चुरु), दौसा एवं रेलमगरा (राजसमन्द) आवंटित मारुति जिप्सी वाहनों के स्थान पर 3 नवीन वाहन महैन्द्रा बोलेरो क्रय करने हेतु राशि रुपये 32.10 लाख की स्वीकृति दिनांक 13.11.2024 को जारी की गई।
26. रणथम्भौर राष्ट्रीय वन्य जीव अभ्यारण में जंगल सफारी (प्रोटोकॉल कार्य) हेतु स्वीकृत वाहन के Modification कार्य हेतु राशि रुपये 1.96 लाख की स्वीकृति दिनांक 09.12.2024 को जारी की गई।
27. राजस्थान उच्च न्यायालय बैंच जयपुर के लिए Internet connectivity Enhancement/upgradation बाबत BSNL-34 mbps RailTel 64 Mbps के



लिए राशि रुपये 8.30 लाख की स्वीकृति दिनांक 08.11.2024 को जारी की गई।

28. राजस्थान उच्च न्यायालय के कार्यालय उपयोग हेतु 200 DSCS कय करने के लिए राशि रुपये 2.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 16.10.2024 को जारी की गई।
29. राजस्थान राज्य न्यायिक अकादमी जोधपुर कार्यालय उपयोग हेतु नवीन आईटम कय करने हेतु राशि रुपये 6.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 14.10.2024 को जारी की गई।



प्रमुख शासन सचिव
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर